



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एवं वैश्वीकृत दोषीय प्राप्तियां, सख्तनाक
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor Sector B, Allonganj, Lucknow-226024, Telephone-2326496
Email: iro.lucknow@moefcc.gov.in

पत्र संख्या/यूपी/06/34/2018/एफपी/1799

दिनांक : 30.12.2022

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य समिति,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, यामु भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/13881/2015

पिषय: कार्योंपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रायगढ़ गांव (उमोड़ीआर०-105) किलो 15.150 की जांची पट्टी पर ग्राम उत्तराना के खसरा सं०-1470 में एस्सार ऑफिल लिंग द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आपटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हेतु चरकित पनमूर्मि का बिना वृक्ष पाताने के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।
सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उमोड़ी का पत्रांक 1749/11-सी-FP/UP/Approach/13881/2015
दिनांक 21.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक विरोध सचिव (यन), उमोड़ी का पत्रांक 819/14-2-2017-800 (56)/2017, दिनांक 03.08.2017 का आशय ग्रहण करने का काष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन के रामसंघयक पत्र दिनांक 12.04.2018 द्वारा आवश्यक सूचनाएँ मार्गी गई थीं जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित

प्रत्युत अनुपालन का अवलोकन उपरान्त प्रकरण में मंत्रालय की आगामी कार्यवाई हेतु प्रकरण को दिनांक 21-12-2022 को आहूता की गयी क्षेत्रीय संस्थान समिति (REC) की बैठक में सम्बिलित किया गया था। क्षेत्रीय संस्थान समिति की बैठक में प्रकरण को मंत्रालय की आगामी कार्यवाई हेतु प्रेषित किये जाने की स्वीकृति इन शर्तों के आधार प्रदान की गयी है कि—

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के विशानिर्देशों के अन्तर्गत 1.21 (ii) के तहत उल्लंघन स्वरूप जितनी बनमूर्मि में उल्लंघन हुआ है उसके पाच (6) गुना दण्डालय एनोडीयो 10 एवं उस पर 12 प्रतिशत साधारण व्याज की धरमांशि जमा की जायेगी।
2. सम्बिलित प्रभागीय निदेशक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाई की विस्तृत आल्या प्रेषित की जायेगी।

अत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाई कर जानकारी/सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने काष्ट करें, जिससे प्रकरण को मंत्रालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सके।

महबीया,

प्रतिलिपि (इमेल द्वारा):

(उमोड़ी प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

1. प्रपान गुरुज वन संरक्षक (होम्प), यन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, राज्यनाल, उमोड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक (यन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, यन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, सख्तनाल, उमोड़ी।
3. प्रभागीय निदेशक, सांगीजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
4. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑफिल लिंग, ए-५, रोडटर-३, नोएडा।
5. पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सख्तनाल को वैयसाइट पर अपलोडिंग हेतु आदेश पत्रालयी।

(उमोड़ी प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उमोड़ी, लखनऊ।
पत्रांक-2223 /11सी-FP/UP/Approach/13881/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 02, 2023

प्रतिलिपि— वन संरक्षक, अलीगढ़ यूनियन, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अग्रिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा विन्दुवार वांछित सूचना/अग्रिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑफिल लिंग ए-५, सें-३, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उमोड़ी, लखनऊ।

- - - - 02 पा

पेज संख्या-02-

ई-मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)

पत्रांक: 1933 /14-1 (13381 /2015) दिनांक: अलीगढ़, जनवरी: ०१, 2023

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग-अलीगढ़ को विन्दुवार वॉचिट सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल 04 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।